

प्रेषक

विष्णुचन्द वैश्य,
सिविल जज(सी0डि0),
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

विषय:-

प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक आफ इंडिया के ब्रांच टेडी पुलिया, लखनऊ से ऋण लेकर आर्षा इन्फ्राडेवलपर्स प्रा0लि0 लखनऊ से माधवग्रीन प्रोजेक्ट ग्राम लौलाई जनपद लखनऊ में 242.50 वर्गमीटर का प्लॉट सं0-बी-107 कय किए जाने की सूचना प्रेषित किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

अति विनम्रता पूर्वक अवगत कराना है कि प्रार्थी के सैलरी एकाउंट सं0-30613665548 भारतीय स्टेट बैंक में उदमनाभन समिति की सिफारिश से बढ़े वेतन का एरियर वाउचर सं0-ए.20/21.06.2011 रू0 4,17,511/- तथा अर्जित अदकाश के नकदीकरण का रूपया मु0 65,617/-रू0 जिसे प्रार्थी ने बचाकर रखा था। प्रार्थी ने आर्षा इन्फ्रा डेवलर्स प्रा0लि0 लखनऊ से उनके द्वारा विकसति किए जा रहे माधवग्रीन प्रोजेक्ट ग्राम लौलाई में भूखण्ड सं0-बी-107 क्षेत्रफल 242.5 वर्गमीटर कय करने हेतु सम्पर्क किया और उक्त डेवलपर्स ने उक्त भूखण्ड की कुल कीमत रू0 24,00,000/- (चौबीस लाख रूपये) में बताया और 30 प्रतिशत डाउनपेमेंट रू0 7,20,000/- की मांग की। मेरे द्वारा अपने सैलरी एकाउंट सं0-30613665548 भारतीय स्टेट बैंक के कास्ट चैक सं0-432763 दिनांकित-31.10.2013 के द्वारा रूपये 7,20,000/- उक्त डेवलपर्स को अदा किया गया, जिसके सम्बंध में उक्त डेवलपर्स ने रसीद सं0-610 दिनांकित 31.10.2013 निर्गत किया। भूखण्ड कय किए जाने की शेष धनराशि को मेरे द्वारा बैंक आफ इंडिया ब्रांच टेडी पुलिया लखनऊ से ऋण द्वारा लिया जाना था। ऋण की प्रोसेसिंग के द्वारा उक्त बैंक ने अवगत कराया कि ऋण की स्वीकृति भूखण्ड कय करने एवं उसपर मकान निर्मित करने के लिए की जायेगी, जिसके लिए कुल ऋण की धनराशि रू0 21,64,817/- (इक्कीस लाख चौंसठ हजार आठ सौ सत्रह मात्र) स्वीकृत करना होगा और सर्वप्रथम उक्त बैंक रू0 16,80,000/- रू0 के ऋण की धनराशि भूखण्ड कय करने के लिए देगा और शेष ऋण की धनराशि पश्चातवर्ती प्रकम पर मकान निर्माण प्रारम्भ करने पर डिस्वर्स किया जायेगा। बैंक ने 7 माह का मोरैटोरियम पीरिएड रखते हुए केवल ब्याज की धनराशि अदा करने के लिए किया है और तत्पश्चात रू0 21,419/- की किश्त प्रतिमाह प्रारम्भ होगी। ऋण अदायगी 234 ईजी मन्थली स्टालमेंट के माध्यम से की जायेगी, जो बैंक आफ इंडिया शाखा टेडी पुलिया, लखनऊ में मेरे द्वारा खोले गये खाता सं0-682110110009322 में से प्रतिमाह बैंक आफ इंडिया के गृह-ऋण खाता सं0-682175110000130 में प्रतिमाह जमा हो जायेगी। प्रार्थी के उक्त ऋण की धनराशि में से उक्त बैंक ने मु0 16,80,000/- रू0 सीधे विक्रेता आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स के खाते में डाल दिया है। अपने सैलरी एकाउंट से मु0 1,78,000/- रू0 नेफ्ट के माध्यम से दिनांक-27.12.2013 को विक्रेता के खाते में अंतरित किया गया, जिसमें से रू0 1,68,000/- की धनराशि बैनामा के लिए स्टाम्प खरीदने के लिए थी और 10,000/- रू0 की धनराशि बैनामा की फीस के मद में थी। विक्रेता आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा0लि0 रजिस्टर्ड आफिस 2/334 स्टेशन रोड विवेक खण्ड गोमती नगर लखनऊ के निदेशक श्री मथुरेश श्रीवास्तव द्वारा प्रार्थी तथा प्रार्थी की पत्नी श्रीमती निधी गुप्ता के हक में दिनांक-17.01.2014 को वही सं0-1 जिल्द सं0-14848 पृष्ठ सं0-123 से 150 पर क्रमांक 628 पर रजिस्ट्रीकृत बैनामा उप-निबंधक, द्वितीय के कार्यालय में निष्पादित किया गया। उक्त के सम्बंध में सूचना माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर न0-25/एडमिन(ए) दिनांकित 13 जुलाई 1998 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर निम्नवत् है:-

1 सेवा में नियुक्ति की 24.12.2003
तिथि

अध्यक्षारित

H. K. Singh

जिला जज
शाहजहाँपुर
01-03-14

rajan

0000

- 2 वर्तमान कुल वेतन और कुल वेतन 86,761 /-रु०, कटौती रु० 12,400 /--रु०, जो वेतन हस्तगत होता कुल वेतन जो हस्तगत होता है, रु० 74,361 /--रु० है।
- 3 क्रय किए गये अचल सम्पत्तियों का विवरण और उस पर व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि का विवरण दिनांक 17.01.2014 को आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० से ग्राम लौलाई, लखनऊ के माधवग्रीन प्रोजेक्ट में प्लॉट सं० बी०-107 क्षेत्रफल 242.5 वर्गमीटर रूपये 24,00,000 /-- मूल्य में क्रय किया गया, जिससे मु० 16,80,000 /--रु० का ऋण बैंक आफ इंडिया, टेडी पुलिया, लखनऊ से मु० 7,20,000 /--रु० अपने सैलरी एकाउंट से दिए गये एवं 1,78,000 /--रु० सैलरी एकाउंट से स्टाम्प शुल्क व मु० 10,000 /--रु० व बैनामा की फीस मद में दिया गया।
- 4 क्या कोई कर्ज या अग्रिम माननीय उच्च न्यायालय से लिया गया। नहीं
- 5 क्या कोई कर्ज बैंक से लिया गया। प्लॉट क्रय हेतु कुल ऋण 21,64,817 /--रु० बैंक आफ इंडिया की ब्रांच टेडी पुलिया, लखनऊ से स्वीकृत कराया गया है, जिसमें से मु० 16,80,000 /--रु० बैंक ने डिस्बर्स किया है और पश्चातवर्ती प्रकम पर शेष धनराशि डिस्बर्स की जायेगी, जिसका भुगतान 234 ईजी मन्थली स्टालमेंट के माध्यम से किया जायेगा, प्रतिमाह 21,419 /--रु० करेगा।
- 6 सेकेण्ड हैंड कार आदि क्रय किए जाने का विवरण लागू नहीं है।
- 7 क्रय की गई सम्पत्ति का पूर्ण विवरण दिनांक-17.01.2014 को आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि०, लखनऊ से ग्राम लौलाई परगना लखनऊ भू-खण्ड सं०-बी-107 मिनजुमला खसरा सं०-72, क्षेत्रफल 242.5 वर्गमीटर, फेजाबाद रोड व निजामपुर मल्हौर लौलाई मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूर चौहददी पूरब 9 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम भूखण्ड सं०-बी-80, उत्तर भूखण्ड सं०-108ए, दक्षिण भूखण्ड सं०-बी-106 माधवग्रीन प्रोजेक्ट में मु० 24,00,000 /--रुपया मूल्य की सम्पत्ति बैंक आफ इंडिया की टेडी पुलिया, लखनऊ से ऋण लेकर क्रय किया गया।
- 8 विक्रेता का पूर्ण पता आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स प्रा०लि० लखनऊ कार्पोरेट आई०डी० नं०-यू०-4500-यू०पी०-2009पीटीसी-038233-2009-2010, कार्यालय-2/334, विवेक खण्ड गोमती नगर, लखनऊ द्वारा निदेशक-मथुरेश श्रीवास्तव पुत्र स्व० रमाशंकर श्रीवास्तव।
- 9 क्या विक्रेता नियमित रूपाति प्राप्त है। जी हां।
- 10 क्या विक्रेता का न्यायिक अधिकारी से किसी प्रकार का कोई सम्बंध में है, या विक्रेता का कोई वाद न्यायिक अधिकारी के यहां विचाराधीन है, या न्यायिक अधिकारी द्वारा निर्णीत किया गया है। नहीं।

11 खर्च किए गये धनराशि प्रार्थी की सैलरी एकाउंट सं०-30612665548 भारतीय स्टेट बैंक का स्रोत और उसके बैंक में पद्मनाभन समिति की सिफारिश से बढ़े वेतन सम्बन्ध में संगत प्रलेख। का ऐरियर बाउचर नं०-ए20/21.06.2011 के ट्रेजरी अलीगढ़ के माध्यम से रूपये 4,17,511/- तथा अर्जित अवकाश के नकदीकरण का रूपया मु० 65,617/-रु० की धनराशि जमा हुई थी, जिसे प्रार्थी बचाकर रखा था। मेरे द्वारा अपने सैलरी एकाउंट सं०-30613669548 के भारतीय स्टेट बैंक के कार्ड चैक सं०-432763 दिनांकित-31.10.2013 द्वारा रु० 7,20,000/-उक्त डेवलपर्स ने रसीद सं०-610 दिनांकित-31.10.2013 निर्गत किया भूखण्ड क्रय की जाने की शेष धनराशि बैंक आफ इंडिया ब्रांच टेडी पुलिया, लखनऊ से सर्वप्रथम मु० 16,80,000/-रु० के ऋण की धनराशि भूखण्ड क्रय करने के लिए सीधे विक्रेता आर्षा इन्फ्रा डेवलपर्स के खाते में डाल दिया गया। मैंने अपने सैलरी एकाउंट सं०-30613665548 से मु० 1,78,000/-नेफ्ट के माध्यम से दिनांक-27.12.2013 को विक्रेता के खाते में अंतरित किया गया, जिसमें मु० 1,68,000/-रु० की धनराशि बैनामा के लिए स्टाम्प खरीदने के लिए थी और 10,000/-रु० की धनराशि बैनामा की फीस के मद में थी। इस प्रकार भुगतान मेरे खाता सं०-30613665558 भारतीय स्टेट बैंक एवं बैंक आफ इंडिया से ऋण प्राप्त करके किया गया।

संलग्नक:-

- 1-विक्रेता के नाम मेरे द्वारा जारी मु० 7,20,000/-रु० के एकाउन्टपेयी चैक सं०-432763 दिनांकित-31.10.2013 की छायाप्रति।
 - 2-उक्त के सम्बन्ध में विक्रेता द्वारा जारी रसीद सं०-610 दिनांकित-31.10.2013 की छायाप्रति।
 - 3-नेफ्ट द्वारा मेरे खाता सं०-30613665548 भारतीय स्टेट बैंक से मु० 1,78,000/-रु० विक्रेता को भेजने के सम्बन्ध में, प्रपत्र दिनांकित-27.12.2013 की छायाप्रति।
 - 4-सैलरी रजिस्टर, जो यह दर्शाता है कि पद्मनाभन समिति की सिफारिश पर बढ़ा वेतन का ऐरियर प्रार्थी को प्राप्त हुआ, की छायाप्रति।
 - 5-बैंक आफ इंडिया शाखा टेडी पुलिया, लखनऊ द्वारा निर्गत ऋण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 - 6-बैनामा दिनांकित 17.01.2014 एवं तितम्मा विलेख दिनांकित-25.02.2014 की छायाप्रति।
- सूचना माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक:01.03.2014

(Rajni)
(विष्णुचन्द्र वैश्य)
सिविल जज, सी०डि०,
शाहजहाँपुर।

Rajni